

उत्तरखंड उच्च न्यायालय, नैनीताल

2008 की रिट याचिका पी. आई. एल. No.1018

अजय गोयल

पुत्र श्री सी. के. गोयल

निवासी 5 अरावली एन्क्लेव जी. एम. एस. रोड, देहरादूनयाचिकाकर्ता

बनाम

उत्तराखंड राज्य और अन्यप्रतिवादीओं

तारीख:- 10 मई, 2011

कोरम: माननीय तरुण अग्रवाल, जे.

माननीय प्रफुल्ल सी. पंत, जे.

माननीय सुधांशु धूलिया, जे.

पेर:- माननीय तरुण अग्रवाल, जे.

1. यह मामला एक खण्ड पीठ द्वारा दिए गए एक संदर्भ पर हमारे सामने आया है, जिसने महसूस किया कि इस मुद्दे पर एक अन्य खण्ड पीठ के फैसले पर पुनर्विचार की आवश्यकता है और तदनुसार अपने फैसले के लिए एक प्रश्न तैयार किया गया है, अर्थात्, "क्या नगर पालिकाओं द्वारा मोटर वाहनों पर टोल लगाने के पश्चात शक्ति को स्पष्ट रूप से वापस ले लिया गया था, इस तरह शक्ति को वापस लेने से पहले छावनी बोर्ड द्वारा जारी अधिसूचना के बल पर, छावनी बोर्ड मोटर वाहनों पर टोल एकत्र करना जारी रख सकता है।"
2. संक्षिप्त तथ्य यह है कि नगरपालिकाएं उत्तर प्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1916 की खंड 128 के अन्तर्गत वाहनों के प्रवेश पर कर लगा रही थीं। 1 अगस्त, 1991 से नगरपालिका क्षेत्र में वाहनों के प्रवेश पर टोल कर को समाप्त कर दिया गया था और तब से नगरपालिका क्षेत्र में वाहनों के प्रवेश पर कोई कर नहीं लगाया जा रहा है।
3. यद्यपि छावनी बोर्ड, देहरादून ने अपने छावनी क्षेत्र में वाहनों के प्रवेश पर कर लगाना जारी रखा। इस तरह के कर के संग्रह को अरुण कुमार जायसवाल बनाम में चुनौती दी गई थी। छावनी बोर्ड, देहरादून और एक अन्य 2004 (2) यू. डी. 401, जिसे इस न्यायालय की एक खण्ड पीठ द्वारा पारित दिनांक 01.09.2004 के एक निर्णय द्वारा खारिज कर दिया गया था, जिसमें कहा गया था कि छावनी बोर्ड के पास वाहनों के प्रवेश पर कर लगाने का क्षेत्राधिकार और शक्ति थी। खण्ड पीठ ने निम्नानुसार अभिनिर्धारित किया:- "10. संयुक्त प्रांत नगरपालिका अधिनियम, 1916 की खंड 128 की उप-खंड (vii) और (viii) को ध्यान में रखते हुए, चूंकि टोल और ऑक्ट्राय उत्तर प्रदेश राज्य की नगर पालिकाओं द्वारा लगाया जा सकता था, इसलिए उन नगर पालिकाओं के भीतर स्थित छावनी बोर्ड भी ऑक्ट्राय/टोल लगाने और एकत्र करने के लिए सक्षम था। छावनी अधिनियम, 1924 की धारा 60 के अन्तर्गत विधानमंडल द्वारा उपयोग किया गया खंड "कुछ समय के लिए लागू" स्पष्ट रूप से विधानमंडलों के इरादे को बताता है कि जब छावनी

बोर्ड कोई कर लगाने का फैसला करता है, तो वह मात्र वही कर लगा सकता है, जो राज्य में नगर निगम बोर्ड द्वारा "कुछ समय के लिए लागू" किसी भी अधिनियम के अन्तर्गत लगाया जा सकता है, जिसमें ऐसी छावनी स्थित है। इस प्रकार, छावनी अधिनियम खंड धारा 60 के अन्तर्गत कर लगाने के समय, किसी भी अधिनियम के अन्तर्गत कर लगाने खंड नगर निगम बोर्ड खंड शक्ति देखी जा सकती है। छावनी बोर्ड द्वारा खंड 60 के अन्तर्गत लगाए जाने वाले करों को 'कुछ समय के लिए लागू' कानून से अपनाया गया है, जो नगर पालिका को सशक्त बनाता है, जहां ऐसी छावनी स्थित है। 'तत्काल प्रभाव में' का अर्थ है 'कर लगाने के समय'। इसलिए, यह करों को अपनाया है। एक बार जब किसी भी समय कर लगाया जाता है, जब वह राज्य में नगर पालिका द्वारा छावनी अधिनियम धारा 61, 62 और 63 के प्रावधानों के अनुसार अधिसूचना द्वारा लगाया जा सकता है, तो इस प्रकार लगाए गए करों को अपनाया जाता है। स्थानीय अधिनियम में बाद के संशोधन से कर के पूर्व अधिरोपण को रद्द नहीं किया जाएगा क्योंकि 'उस समय' 3 प्रावधान मौजूद थे जो नगरपालिका को ऐसा कर लगाने का अधिकार देते थे।"

4. खण्ड पीठ ने माना कि छावनी बोर्ड के पास छावनी अधिनियम की खंड 60 के अन्तर्गत कर लगाने की शक्ति है, क्योंकि नगर पालिका के पास वाहनों के प्रवेश पर कर लगाने की शक्ति है। खण्ड पीठ ने कहा कि भले ही नगरपालिका अधिनियम में वाहनों के प्रवेश पर कर लगाने की शक्ति को समाप्त कर दिया गया था, फिर भी, छावनी बोर्ड वाहनों के प्रवेश पर कर लगाना जारी रख सकता है, क्योंकि छावनी बोर्ड द्वारा कर लगाने की शक्ति कर लगाने के समय देखी जानी थी। खण्ड पीठ ने समझाया कि छावनी अधिनियम की खंड 60 में उपयोग किए गए "कुछ समय के लिए लागू" शब्दों का अर्थ "कर लगाने के समय" है।

5. इसके बाद, एक पी. आई. एल. में, वाहनों के प्रवेश पर कर लगाने के संबंध में एक मामले की सुनवाई करते हुए, एक अन्य खण्ड पीठ को अरुण कुमार जायसवाल के मामले (ऊपर) में खण्ड पीठ (ऊपर) द्वारा पारित निर्णय पर विचार करने का अवसर मिला और उसने उसमें अपनाए गए तर्क से असहमति जताई। 2008 की रिट याचिका पी. आई. एल. No.1018 में खण्ड पीठ ने अभिनिर्धारित किया:- "छावनी अधिनियम यद्यपि धारा 60 छावनी बोर्ड को केंद्र सरकार यद्यपि पूर्व मंजूरी के साथ तत्काल लागू किए जा रहे किसी भी अधिनियम के से ऐसा कर लगाने के लिए अधिकृत करती है, जो किसी भी नगर पालिका में लगाया जा सकता है। 2. प्रतिवादी-छावनी बोर्ड इस तरह के कर को लागू करने का हकदार है, क्योंकि एक नगर पालिका यू. पी. नगरपालिका अधिनियम, 1916 के अन्तर्गत लागू करने का हकदार है। उक्त अधिनियम के अंतर्गत आने वाली नगरपालिकाएँ वाहनों पर कर लगा सकती हैं, लेकिन मोटर वाहनों पर नहीं, जैसा कि अधिनियम की धारा 128 में बताया गया है। अधिनियम द्वारा शासित नगर पालिकाएँ टोल लगाने की हकदार थीं, लेकिन इस तरह की शक्ति को 1991 से वापस ले लिया गया है। 1991 से पहले, छावनी बोर्ड ने एक अधिसूचना द्वारा केंद्र सरकार की पूर्व मंजूरी के साथ मोटर वाहनों पर टोल लगाया था। इस न्यायालय की एक खण्ड पीठ ने रिट याचिका संख्या 1187 (एम/बी) 2003 में दिए गए अपने 4 फैसले में कहा कि ऐसी अधिसूचना अभी भी वैध है, इसके बावजूद कि नगर पालिकाओं ने 1991 से मोटर वाहनों पर टोल लगाने की शक्ति खो दी है, हालांकि मामले के इस पहलू को उक्त फैसले में स्पष्ट रूप से उजागर नहीं किया गया है। 3. यह विचार होने के कारण कि वैधानिक शक्ति

का प्रयोग करते हुए जारी की गई उक्त अधिसूचना उस समय समाप्त हो गई जब वैधानिक शक्ति समाप्त हो गई थी, हम उक्त निर्णय में दर्ज निष्कर्षों को प्रतिग्रहण करने में असमर्थ हैं।"

6. खण्ड पीठ ने मुख्य न्यायाधीश से इस मुद्दे को हल करने के लिए एक बड़ी पीठ का गठन आदेश का अनुरोध किया। तदनुसार मामले को संदर्भ का जवाब देने के लिए इस पीठ के समक्ष रखा गया है।

7. हमने याचिकाकर्ता के विद्वान वकील श्री डी. बर्थवाल, प्रतिवादी के विद्वान महाधिवक्ता श्री बी. डी. उपाध्याय और प्रतिवादी के विद्वान वकील श्री अरविंद वशिष्ठ और श्री एस. एस. चौहान, अर्थात् छावनी बोर्ड, देहरादून विद्वान अधिवक्ता है को सुना है।

8. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री डी. बर्थवाल ने कहा कि छावनी बोर्ड को छावनी अधिनियम, 1924 की धारा 60 के अन्तर्गत अपनी शक्ति मिलती है, जिसमें प्रावधान है कि छावनी बोर्ड किसी अधिनियम खंड कोई भी कर लगा सकता है जो राज्य की नगरपालिका में लागू होता है। याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि नगरपालिकाएँ वाहनों के प्रवेश पर कर लगा रही थीं, लेकिन 01.08.1991 से, नगरपालिका क्षेत्र में वाहनों के प्रवेश पर टोल कर लगाने की शक्ति को वापस ले लिया गया था। याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि एक बार नगरपालिका की कर लगाने की शक्ति वापस लेने के बाद, छावनी बोर्ड द्वारा छावनी अधिनियम की धारा 60 के से कोई कर नहीं लगाया जा सकता है क्योंकि छावनी बोर्ड द्वारा कर लगाने की शक्ति नगरपालिका अधिनियम के अन्तर्गत नगरपालिका को दी गई 5 शक्तियों पर निर्भर थी। उसकी प्रस्तुतियों के समर्थन में, याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने कुछ निर्णयों पर अवलम्ब रखा, जिन्हें इसके बाद भेजा जाएगा।

9. दूसरी ओर, छावनी बोर्ड के विद्वान अधिवक्ता श्री अरविंद वशिष्ठ और श्री एस. एस. चौहान ने कहा कि भले ही नगरपालिका अधिनियम को 1991 के यू. पी. अधिनियम संख्या 9 द्वारा संशोधित किया गया था और नगरपालिका क्षेत्र में वाहनों के प्रवेश पर टोल कर लगाने की शक्ति को समाप्त कर दिया गया था, फिर भी छावनी बोर्ड के पास छावनी क्षेत्र में वाहनों के प्रवेश पर टोल कर लगाना जारी रखने की शक्ति थी, क्योंकि नगरपालिका अधिनियम के अन्तर्गत टोल कर लगाने के प्रावधान को समाप्त करने पर भी टोल कर का अधिकार समाप्त नहीं हुआ था। विद्वान अधिवक्ता ने अग्रतर प्रस्तुत किया कि छावनी अधिनियम की धारा 60 का प्रावधान निगमन द्वारा कानून का एक हिस्सा है और एक बार छावनी अधिनियम की धारा 60 के अन्तर्गत प्रयोग किया जाता है, उक्त शक्ति नगरपालिका अधिनियम के अन्तर्गत वाहनों के प्रवेश पर कर लगाने खंड संबंधित प्रावधान को उत्सादन के बावजूद जारी है। अपनी दलीलों के समर्थन में, विद्वान अधिवक्ता ने 'निगमन द्वारा विधान' के सिद्धांत पर विभिन्न निर्णयों पर अवलम्ब रखा, जिन पर अग्रतर विचार किया जाएगा।

10. प्रतिद्वंद्वी दलों के तर्क को समझने के लिए, विधायी योजना पर विचार करना आवश्यक है।

11. छावनी अधिनियम, 1924 की खंड 60 निम्नानुसार है:- "60. कराधान की सामान्य शक्ति।- (1) बोर्ड, [केंद्र सरकार] की पूर्व मंजूरी के साथ, किसी भी छावनी में कोई भी कर लगा सकता है, जो उस समय लागू किसी भी अधिनियम के अन्तर्गत, उस राज्य की किसी भी नगरपालिका में लगाया जा सकता है जहां ऐसी छावनी स्थित है।6

(2) इस धारा के अन्तर्गत लगाया गया कोई भी कर आधिकारिक राजपत्र में इसखंड अधिसूचना खंड तिथि से प्रभावी होगा [या जहां अधिसूचना में इस संबंध में कोई बाद खंड तिथि निर्दिष्ट खंड गई है, ऐसी बाद खंड तिथि से]।। "

12. उपरोक्त प्रावधान यह स्पष्ट करता है कि अधिनियम की खंड 60 (1) के अन्तर्गत किसी भी छावनी में कोई भी कर लगाने की शक्ति उस संबंधित शक्ति पर निर्भर है जो नगर पालिका में निहित हो सकती है। यदि किसी नगर पालिका के पास किसी अधिनियम के अन्तर्गत कर लगाने की शक्ति है, तो उसी शक्ति का उपयोग छावनी बोर्ड द्वारा छावनी अधिनियम की खंड 60 (1) के अन्तर्गत छावनी में कर लगाने के लिए किया जा सकता है। दूसरे शब्दों में, छावनी अधिनियम की खंड 60 (1) अपने आप में एक स्वतंत्र प्रावधान नहीं है, इस अर्थ में कि छावनी बोर्ड के पास स्वयं कर लगाने की कोई शक्ति नहीं है और यह नगरपालिका अधिनियम में दी गई शक्तियों पर निर्भर है।

13. उत्तर प्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1916 की धारा 128 में ऐसे करों का प्रावधान है जो नगर पालिका द्वारा लगाए जा सकते हैं। सुविधा के लिए उक्त अधिनियम की खंड 128 (vii) निम्नानुसार है:- "धारा 128। कर जो लगाए जा सकते हैं।- (1) इस संबंध में किसी भी सामान्य नियमों या राज्य सरकार के विशेष आदेशों के अधीन रहते हुए, जो कर कोई नगर पालिका पूरे नगर पालिका या उसके हिस्से में लगा सकती है, वे हैं- (vii) यात्रियों के धरलू सामानों के अलावा अन्य सामानों से लदे वाहनों और अन्य परिवहनों, जानवरों और कुलियों पर टोल, जो नगर पालिका की सीमा में प्रवेश करते हैं और ऐसी सीमा के भीतर ऐसे लदे हुए सामान या उसके किसी भी हिस्से को उतारते हैं।

14. उपरोक्त से, नगर पालिका को नगर पालिका क्षेत्र में वाहनों के प्रवेश पर कर लगाने का अधिकार है। चूंकि नगर पालिका द्वारा 7 वाहनों के प्रवेश पर कर लगाया जा रहा था, इसलिए छावनी बोर्ड ने केंद्र सरकार से मंजूरी प्राप्त करने के पश्चात अपने छावनी क्षेत्र में वाहनों के प्रवेश पर एस. आर. ओ. No.369 दिनांक 01.11.1956 अधिसूचना के अनुसार टोल कर वसूलना शुरू कर दिया, जिसे रक्षा मंत्रालय द्वारा 17.11.1956 पर राजपत्र में प्रकाशित किया गया था।

15. 1991 के उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 9 द्वारा नगरपालिका अधिनियम की खंड 128 में संशोधन किया गया और उपखंड (vii) को हटा दिया गया। नतीजतन, डब्ल्यू. ई. एफ. 01.08.1991 नगरपालिका क्षेत्र में वाहनों के प्रवेश पर टोल कर को समाप्त कर दिया गया था और तब से, नगरपालिका क्षेत्र में वाहनों के प्रवेश पर कोई कर नहीं लगाया जा रहा है।

16. अरुण कुमार जैसवाल (उपरोक्त) के मामले में खण्ड पीठ ने "कुछ समय के लिए लागू" अभिव्यक्ति पर जोर दिया और कहा कि छावनी अधिनियम की धारा 60 में उपयोग किए गए इन शब्दों का अर्थ "कर लगाने के समय" है और एक बार कर लगाए जाने के बाद, इस तरह लगाया गया कर अपनाया गया और नगरपालिका अधिनियम में बाद में संशोधन छावनी अधिनियम के अन्तर्गत कर के अधिरोपण को रद्द नहीं करेगा।

17. "कुछ समय के लिए लागू" अभिव्यक्ति की व्याख्या सर्वोच्च न्यायालय द्वारा विभिन्न निर्णयों में की गई है।

18. स्ट्राउड के न्यायिक शब्दकोश के पांचवें संस्करण में परिभाषित वाक्यांश "कुछ समय के लिए" को नीचे निकाला गया है:- वाक्यांश "कुछ समय के लिए", इसके संदर्भ के अनुसार, वर्तमान समय का अर्थ हो सकता है, या समय की

एक अवधि को दर्शाता है; लेकिन इसका सामान्य अर्थ अनिश्चित समय का है, और तथ्यों की एक अनिश्चित स्थिति को संदर्भित करता है जो भविष्य में उत्पन्न होंगे, और जो समय-समय पर भिन्न हो सकते हैं (और संभवतः होंगे)।⁸ 19. अन्ना ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन लिमिटेड बनाम मेसर्स सेफ सर्विस लिमिटेड और अन्य 1992 (1) एस. सी. सी. 401 में, उच्चतम न्यायालय ने पटसन निर्माता उपकर नियम 1976 के नियम 3 की भाषा की व्याख्या करते हुए कहा कि प्रभाव ऐसा है जैसे "कुछ समय के लिए लागू" शब्द नियम 3 में "केंद्रीय उत्पाद शुल्क और नमक अधिनियम, 1944 के प्रावधानों और उसके से बनाए गए नियमों" के पश्चात थे और राय दी कि 1982 में किए गए नियम 9 और 49 का संशोधन अधिनियम के से उपकर लगाने और संग्रह के मामले में समान रूप से लागू था।

20. देवकुमार सिंह जी कस्तूरचंद जी बनाम मध्य प्रदेश राज्य और अन्य, ए. आई. आर. (1967) एम. पी. 268 (डी. बी.) मामले में, उच्च न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि मध्य प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1956 की खंड 132 (1) और खंड 135 ने नगर निगम को भूमि और भवनों पर कर लगाने का अधिकार दिया है जो निगम ने उस शक्ति के प्रयोग के अन्तर्गत किया था। राज्य विधानमंडल ने मध्य प्रदेश नागरिक स्थायी संपत्ति कर अधिनियम, 1964 नामक एक कानून बनाया, जिसमें मध्य प्रदेश राज्य के शहरी क्षेत्रों में भूमि और भवनों पर कर लगाने का प्रावधान किया गया था। मध्य प्रदेश निगम अधिनियम की धारा 4 की उप-धारा (3) में प्रावधान किया गया है कि उस अधिनियम के अन्तर्गत लगाया गया और देय कर भूमि या भवन या उसके हिस्खंड के संबंध में उस समय लागू किसी अन्य अधिनियम के अन्तर्गत देय किसी अन्य कर के अतिरिक्त होगा। 1964 के अधिनियम को चुनौती दी गई थी और चुनौती के आधारों में से एक यह था कि राज्य विधानमंडल ने नगर निगम अधिनियम, 1956 और एम. पी., नगरपालिका अधिनियम, 1961 के अन्तर्गत नगर निगम और नगर पालिकाओं के पक्ष में भूमि और भवनों पर कर लगाने की अपनी शक्ति सौंप दी थी और स्थानीय अधिकारियों ने भूमि और भवनों पर कर लगाया था, राज्य विधानमंडल के पास भूमि और भवनों पर कर लगाने की कोई शक्ति नहीं थी। न्यायालय ने कहा कि "कुछ समय के लिए लागू कोई अन्य अधिनियम" पद का अर्थ एक ऐसा अधिनियम नहीं है जो उस समय पहले ही लागू था जब निगम ने नगर निगम अधिनियम की धारा 132 के अन्तर्गत कर लगाया था, लेकिन इसका अर्थ निगम द्वारा कर लगाने खंड पहले या पश्चात में अधिनियमित कोई भी कानून है। अदालत ने कहा कि "कुछ समय के लिए" शब्दों का सामान्य अर्थ अनिश्चित है और तथ्यों की अनिश्चित स्थिति को संदर्भित करता है जो भविष्य में उत्पन्न होंगे और जो समय-समय पर भिन्न हो सकते हैं।

21. सर दिनशां मानेकजी पेटिट बनाम जी. बी. बडकास और अन्य ए. आई. आर. 1969 बॉम्बे 151 में, उच्च न्यायालय के समक्ष प्रश्न भारत रक्षा अधिनियम की भाग 19 (1) के खंड (जी) में दिखाई देने वाली "कुछ समय के लिए लागू किसी भी कानून में" अभिव्यक्ति का दायरा था। उच्च न्यायालय ने कहा कि "कुछ समय के लिए लागू कानून" शब्द न मात्र भारत रक्षा अधिनियम के पारित होने के समय लागू कानून को संदर्भित करते हैं, बल्कि किसी भी कानून को भी संदर्भित करते हैं जो बाद में पारित किया जा सकता है और जो उस समय लागू होता है जब भारत

रक्षा अधिनियम की खंड 19 के अन्तर्गत आयोजित मध्यस्थताओं पर ऐसी कानून के लागू होने का सवाल पैदा होता है।

22. एम. पी. के उपरोक्त निर्णय। उच्च न्यायालय और बॉम्बे उच्च न्यायालय को सुप्रीम कोर्ट द्वारा थाइसेन स्टालुनियन जी. एम. बी. एच. आदि बनाम स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड 1999 (9) एस. सी. सी. 334 मामले में मंजूरी दी गई थी। उच्चतम न्यायालय ने "कुछ समय के लिए लागू" अभिव्यक्ति की व्याख्या करते हुए कहा कि उस अधिनियम का प्रावधान लागू होगा जो उस समय लागू होगा जब मध्यस्थता की कार्यवाही आयोजित की जाएगी। उच्चतम न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि उपरोक्त अभिव्यक्ति न केवल उस समय लागू कानून को संदर्भित करती है जब मध्यस्थता समझौता किया गया था, बल्कि किसी भी कानून को भी संदर्भित करती है जो मध्यस्थता कार्यवाही के संचालन के लिए लागू हो सकता है।¹⁰

23. एम. सी. डी. बनाम प्रेम चंद गुप्ता और एक अन्य के प्रबंधन में ए. आई. आर. 2000 एस. सी. 454, दिल्ली नगर निगम सेवा विनियमन, 1959 का विनियमन 4 (1) निम्नानुसार प्रदान किया गया है: 4 (1) जब तक अधिनियम या इन विनियमों में अन्यथा प्रावधान नहीं किया गया है, तब तक केंद्र सरकार की सेवा में सरकारी कर्मचारियों के लिए लागू और लागू होने वाले नियम, जहां तक हो सके, नगरपालिका अधिकारियों और अन्य नगरपालिका कर्मचारियों की सेवा की शर्तों को विनियमित करेंगे। - "13. इस संबंध में, प्रतिवादी-कर्मचारी के लिए विद्वान अधिवक्ता की एक प्रस्तुतीकरण पर ध्यान दिया जा सकता है। उन्होंने प्रस्तुत किया कि जैसा कि विनियमन 4 (1) द्वारा निर्धारित किया गया है, उस समय के नियम, जैसा कि उसमें उल्लेख किया गया है, मात्र उन नियमों को संदर्भित करेंगे जो 1959 के सेवा विनियमों के लागू होने के समय लागू थे और किसी भी बाद के नियम को नहीं, इस प्रस्तुतीकरण को स्वीकार करना मुश्किल है। वर्तमान में लागू नियमों का विनियमन 4 (1) में स्पष्ट रूप से उल्लिखित समय पर नगरपालिका अधिकारियों की सेवा की स्थिति के विनियमन के साथ संबंध होगा। इसलिए, जब भी नगरपालिका अधिकारियों की सेवा की शर्तों के विनियमन का प्रश्न विचार के लिए आता है, तो उस समय लागू प्रासंगिक नियमों पर विचार किया जाना चाहिए। यह विनियमन 4 (1) का स्पष्ट जोर है। इसके दायरे और दायरे को मात्र 1959 में उस समय तक सीमित और सीमित नहीं किया जा सकता है, जब सेवा विनियमों को लागू किया गया था। यदि विनियमन के निर्माताओं का 11वां इरादा ऐसा होता, तो विनियमन 4 (1) ने "वर्तमान में लागू नियम" वाक्यांश के बजाय "वर्तमान में लागू नियम" नामक एक अलग वाक्यांश का उपयोग किया होता। वाक्यांश "कुछ समय के लिए लागू नियम" का अर्थ आवश्यक रूप से समय-समय पर लागू नियम होगा और 1959 में मात्र एक निश्चित समय पर लागू नियम नहीं होंगे, जैसा कि प्रतिवादी कर्मचारी के लिए विद्वान अधिवक्ता द्वारा सुझाया गया था।"

24. उपरोक्त निर्णयों के आलोक में, यह स्पष्ट है कि छावनी अधिनियम की खंड 60 की भाषा स्पष्ट है। छावनी बोर्ड द्वारा अधिसूचना जारी करने के समय लागू कानून यानी नगरपालिका अधिनियम के अनुसार कर लगाया जा सकता है, लेकिन बाद में नगरपालिका अधिनियम में किए गए संशोधन भी समान रूप से लागू होंगे। "कुछ समय के

लिए लागू" शब्द महत्वपूर्ण हैं और इनका अर्थ न मात्र नगरपालिका अधिनियम के पारित होने के समय लागू कानून के लिए बल्कि बाद में पारित होने वाले किसी भी कानून के लिए भी हो सकता है।

25. उपरोक्त के आलोक में, जब 1991 में एक अधिसूचना द्वारा वाहनों के प्रवेश पर कर लगाने खंड संबंधित प्रावधान को वापस ले लिया गया था, तो नगर पालिका ने वाहनों के प्रवेश पर टोल कर लगाने की शक्ति खो दी थी, जिसके परिणामस्वरूप छावनी अधिनियम की धारा 60 के से वैधानिक शक्ति, नगरपालिका अधिनियम की धारा 128 के से दी गई शक्ति पर निर्भर और सह-विस्तारित होने के कारण, खो गई थी और स्वचालित रूप खंड वापस ले ली गई थी।यू. पी. अधिनियम No.9/1991 द्वारा दिनांकित 01.08.1991 अधिसूचना जारी होने पर, नगर पालिकाओं ने वाहनों के प्रवेश पर कर लगाने की शक्ति खो दी।छावनी बोर्ड, नगरपालिका अधिनियम की खंड 128 के प्रावधान पर निर्भर होने के कारण भी छावनी क्षेत्र में वाहनों के प्रवेश पर कर लगाने की 12 शक्तियों को अपने आप खो देता है।

26. उपरोक्त के आलोक में, हमारा मत है कि इस विषय पर ध्यान देना आवश्यक नहीं है कि क्या धारा 60 का प्रावधान निगमन द्वारा या संदर्भ के माध्यम खंड विधान का मामला है।हालाँकि, चूंकि छावनी बोर्ड निगमन द्वारा कानून यद्यपि अवधारणा पर बहुत अधिक निर्भर है, इसलिए हम पाते हैं कि मामले के इस पहलू पर भी ध्यान देना उचित होगा।

27. एक संदर्भ या उद्धरण द्वारा या निगमन द्वारा एक प्रावधान का अनुकूलन कानून का एक स्वीकृत उपकरण है।यदि अनुकूलन अधिनियम पूर्ववर्ती विद्यमान अधिनियम के कुछ प्रावधानों को संदर्भित करता है, तो इसे संदर्भ द्वारा विधान के रूप में जाना जाता है, लेकिन यदि किसी अन्य अधिनियम के प्रावधानों को शारीरिक रूप से हटा दिया जाता है और नए अधिनियम में शामिल किया जाता है, तो इसे निगमन द्वारा विधान के रूप में जाना जाता है।संदर्भ या निगमन द्वारा किसी कानून के बीच के अंतर को उजागर करना आसान नहीं है और अंतर डिग्री में अंतर का एक है और अक्सर धुंधला होता है।कोई स्पष्ट दिशानिर्देश या विशिष्ट विशेषताएं नहीं हैं जो यह पता लगाएंगी कि उक्त अनुकूलन एक श्रेणी या दूसरी श्रेणी से संबंधित है या नहीं।भारत सहकारी बैंक (मुंबई) लिमिटेड बनाम सहकारी बैंक कर्मचारी संघ 2007 (4) एस. सी. सी. 685 के मामले में उच्चतम न्यायालय ने कहा:- "21.1.अंततः, यह विधायी इरादे की जांच करने और/या यदि एक या दूसरे दृष्टिकोण को अपनाया जाता है तो अधिनियम के कामकाज में अंतर्दृष्टि लेने का मामला है।इसलिए, प्रावधान में जिस तरह की भाषा का उपयोग किया गया है, अधिनियम की योजना और उद्देश्य प्रश्न का उत्तर खोजने में महत्वपूर्ण है।(देखिए:सीमा शुल्क कलेक्टर बनाम संपथु चेट्टी और अन्न.)।यह पता लगाने के लिए कि क्या 13 कानून निगमन या संदर्भ द्वारा है, सैद्धांतिक दृष्टिकोण, अंतिम विश्लेषण पर, उस लक्ष्य की ओर निर्देशित है।"

28. उच्चतम न्यायालय ने राकेश विज बनाम डॉ. रमिंदर पाल अन्य सेठी और अन्य 2005 (8) एस. सी. सी. 504, राज्य सचिव बनाम हिंदुस्तान सहकारी बीमा सोसायटी लिमिटेड ए. आई. आर. मामले में भी इसी तरह का विचार व्यक्त किया था। 1931 प्रिवी काउंसिल 149, शामराव बनाम पारुलेकर और अन्य ए. आई. आर. 1952 एससी 324, राम सरूप बनाम मुंशी और अन्य। ए. आई. आर. 1963 एस. सी. 553, बोलानी ऑरेस लिमिटेड। बनाम उड़ीसा राज्य

1974 (2) एस. सी. सी. 777, मध्य प्रदेश राज्य बनाम एम. वी. नरसिम्हन ए. आई. आर. 1975 एस. सी. 1835, यू. पी. अवास इवाम विकास परिषद बनाम जैनुल इस्लाम और एक अन्य ए. आई. आर. 1998 एस. सी. 1028, केरल राज्य सड़क परिवहन निगम बनाम के. ओ. वर्गीज और अन्य 2003 (12) एस. सी. सी. 293, पश्चिम बंगाल राज्य बनाम केदारनाथ राजगढ़िया चरित, ट्रस्ट एस्टेट 2004 (12) एस. सी. सी. 425, पी. सी. अगरवाला बनाम वेतन का भुगतान निरीक्षक एम. पी. (2005) 8 एस. सी. सी. 104 और भारत सहकारी बैंक (मुंबई) लिमिटेड। बनाम। सहकारी बैंक कर्मचारी संघ 2007 (4) एससीसी 685।

29. उपरोक्त अवधारणा को सर्वोच्च न्यायालय ने गिरनार ट्रेडर्स बनाम मामले में अपने नवीनतम फैसले में दोहराया है। महाराष्ट्र राज्य और अन्य जे. टी. 2011 (1) एस. सी. 469 जिसमें उच्चतम न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया: 4.1. जब अधिनियम में कुछ पूर्ववर्ती अधिनियम का सामान्य संदर्भ है, लेकिन अधिनियम के प्रावधानों का कोई विशिष्ट उल्लेख नहीं है, तो इसे स्पष्ट रूप से संदर्भ द्वारा विधान माना जाता है। संदर्भ द्वारा विधान के मामले में, पूर्व अधिनियम के संशोधन अधिनियम आम तौर पर बाद के अधिनियम पर लागू होंगे; लेकिन, जब किसी अधिनियम के प्रावधान विशेष रूप से बाद के कानून में निर्दिष्ट और शामिल किए जाते हैं, तो केवल वे प्रावधान लागू होते हैं और पूर्व अधिनियम के संशोधन प्रावधान बाद के अधिनियम का हिस्सा नहीं बनेंगे। इस सिद्धान्त को आम तौर पर निगमन द्वारा अधिनियम कहा जाता है। सामान्य संदर्भ, आमतौर पर, विशिष्ट संदर्भ के बहिष्करण का संकेत देगा और यह इन दोनों सिद्धांतों के बीच अंतर की ठीक रेखा है। दोनों संदर्भित विधान हैं, एक मात्र संदर्भ के माध्यम से और दूसरा निगमन द्वारा। यह, आम तौर पर, बाद के कानून में उपयोग की जाने वाली भाषा और अन्य प्रासंगिक विचारों पर निर्भर करेगा। उच्चतम न्यायालय ने अग्रतर कहा:- "42. अधिनियम के विकास के साथ, विधायिका ने नए अधिनियम बनाते समय मौजूदा कानून के प्रावधानों को संदर्भित करने की सामान्य प्रथा को अपनाया है। बाद के अधिनियम में पहले के अधिनियम का संदर्भ पहले के कानून के प्रावधानों का एक सरल संदर्भ या एक विशिष्ट संदर्भ हो सकता है जहां पहले के अधिनियम को नए अधिनियम का एक अभिन्न अंग बनाया जाता है, यानी निगमन द्वारा। संदर्भ द्वारा विधान के मामले में, इसे काल्पनिक रूप से बाद के कानून का हिस्सा बनाया जाता है। हम पहले ही देख चुके हैं कि पूर्व कानून में सभी संशोधन, हालांकि बाद में कानून के अधिनियमन के बाद किए गए थे, वास्तव में लागू होंगे।"

30. उपरोक्त के आलोक में, हमारा मत है कि छावनी अधिनियम की धारा 60 के प्रावधान पूरी तरह खंड नगरपालिका अधिनियम की धारा 128 के प्रावधानों पर निर्भर हैं और उनके साथ सह-व्यापक हैं। नगरपालिका अधिनियम की धारा 128 के प्रावधान के बिना, छावनी बोर्ड के पास अपने छावनी क्षेत्र में कोई कर लगाने की कोई शक्ति नहीं है।¹⁵ यह स्पष्ट है कि छावनी अधिनियम का खंड 60 संदर्भ द्वारा एक विधान है और निगमन द्वारा एक विधान नहीं है। छावनी बोर्ड के लिए विद्वान वकीलों का यह प्रस्तुतीकरण कि यह प्रावधान निगमन द्वारा कानून का एक हिस्सा है और छावनी अधिनियम के खंड 60 के अन्तर्गत एक बार प्रयोग की जाने वाली कर लगाने की शक्ति नगरपालिका अधिनियम के अन्तर्गत शक्ति के निरसन के बावजूद काम करती रहेगी, सही नहीं है। नतीजतन, छावनी बोर्ड के

विद्वान वकीलों द्वारा उद्धृत निर्णय। नागपुर इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट बनाम वसंतराव 2002 (7) एस. सी. सी. 657, भिखा राम बनाम राम सरूप 1992 (1) एस. सी. सी. 319, बोलानी ओरेस लिमिटेड बनाम। उड़ीसा राज्य 1974 (2) एस. सी. सी. 777, महिंद्रा एंड महिंद्रा लिमिटेड बनाम भारत संघ और ए. एन. आर. 1979 (2) एस. सी. सी. 529, यू. पी. आवास एवं विकास परिषद बनाम जैनुल इस्लाम और एक अन्य ए. आई. आर. 1998 एस. सी. 1028, पी. सी. अग्रवाल बनाम वेतन निरीक्षक का भुगतान, एम. पी., (2005) 8 एस. सी. सी. 104 निगमन द्वारा विधान के प्रश्न पर भेद करने योग्य हैं और इस मामले के तथ्यों पर लागू नहीं होता है।

31. उपरोक्त के आलोक में, हमारा मत है कि एक बार नगरपालिका अधिनियम की धारा 128 के से वाहनों के प्रवेश पर कर लगाने की शक्ति वापस लेने के बाद, छावनी बोर्ड छावनी अधिनियम की धारा 60 के से छावनी क्षेत्र में वाहनों के प्रवेश पर कर लगाने की शक्ति खो देता है, जितना कि छावनी अधिनियम की धारा 60 (1) के से कर लगाने की शक्ति नगरपालिका अधिनियम में दी गई संबंधित शक्ति पर निर्भर है और उसके साथ सह-विस्तारित है। हम, तदनुसार, अरुण कुमार जयस्वाल बनाम के मामले में निर्णय मानते हैं। छावनी बोर्ड, देहरादून 2004 (2) यू. डी. 401 एक अच्छा कानून नहीं है और इखंड खारिज कर दिया गया है। उठाए गए प्रश्न का उत्तर उसी के अनुसार दिया जाता है।¹⁶

32. उपरोक्त के आलोक में, इस मत को मामले से निपटने वाली उपयुक्त पीठ के समक्ष रखा जाए।

(सुधांशु धूलिया, जे.) (प्रफुल्ल सी. पंत, जे.) (तरुण अग्रवाल, जे.)

दिनांक 10 मई, 2011

एलएसआर